भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3164

(08 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाईजी के नए चरण के अंतर्गत आवेदन

3164. डॉ. रामशंकर कठेरिया:

श्री रवि किशनः

श्री महाबली सिंहः

श्री सुब्रत पाठकः

क्या**ग्रामीण विकास**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत कितने गरीब लोगों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवंटित आवासों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्ष 2023-24 के लिए पीएमएवाई-जी के नए चरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क)और**(ख):** पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष2020-21, 2021-22 और2022-23 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा**अनुबंध**में दिया गया है।

(ग)और**(घ):** पीएमएवाई-जी के तहत परिवारों से किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 के आधार पर पीएमएवाई-जी के स्थाई प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) से और अंतिम रूप से तैयार की गई आवास + सूची से किया जाता है।इस समय पीएमएवाई-जी के मार्च , 2024के बाद अगले चरण को शुरू करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा मेंदिनांक 08.08.2023 कोपीएमएवाई-जी के नए चरण के तहत आवेदनों के संबंध मेंउत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3164 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 से2022-23 के दौरान देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत स्वीकृत आवासों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(इकाइयाँ संख्या में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	अरुणाचल प्रदेश	19,038	11,044	2,707
2	असम	1,50,039	2,16,359	10,55,005
3	बिहार	6,25,357	8,99,367	1,33,110
4	छत्तीसगढ़	1,57,534	371	81,375
5	गोवा	32	47	18
6	गुजरात	21,347	1,07,420	1,48,714
7	हरियाणा	61	3,317	5,114
8	हिमाचल प्रदेश	4,001	2,729	794
9	जम्मू और कश्मीर	64,045	55,862	7,818
10	झारखंड	3,61,648	3,90,226	11,590
11	केरल	3,330	12,615	1,633
12	मध्य प्रदेश	7,56,726	4,90,326	7,54,552
13	महाराष्ट्र	2,92,105	1,17,601	3,16,475
14	मणिपुर	17,822	1,725	13,849
15	मेघालय	26,487	3,353	8,871
16	मिजोरम	7,017	0	6,951
17	नागालैंड	4,706	9,806	4,203
18	ओडिशा	2,90,488	3,421	9,08,916
19	पंजाब	1,887	11,333	4,959
20	राजस्थान	2,64,720	3,87,150	7,467
21	सिक्किम	0	282	48
22	तमिलनाडु	1,13,138	2,30,839	41,101
23	त्रिपुरा	991	1,57,234	51,915
24	उत्तर प्रदेश	7,28,507	4,34,963	8,62,231
25	उत्तराखंड	47	15,390	18,816
26	पश्चिम बंगाल	9,41,759	1,66,795	11,06,888
27	अण्डमान और निकोबार	397	0	6
28	दादरा और नगर हवेली और दमन दीव	99	49	967
29	लक्षद्वीप	0	0	0
30	पुडुचेरी*	-	-	-
31	आंध्र प्रदेश	1,816	0	1,78,899
32	कर्नाटक	36,730	3,972	38,412
33	तेलंगाना*	-	-	-
34	लद्दाख	200	461	1
	कुल	**48,92,074**	**37,34,057**	**57,73,405**

*तेलंगाना और पुडुचेरी पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं।

*****